फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, भीण्डर उदयपुर जिला उदयपुर

प्रार्थी : श्री तहसीलदार भीण्डर बनाम विपक्षी श्री भीण्डर बिल्ड होम जरिये पार्टनर सुन्दरलाल व अन्य
किस्म मुकदमा – धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पत्रावली संख्या 71/25

क्रमांक	कार्यवाही विवरण

दिनांक 22.12.2025

पत्रावली पेश हुई। राजपेरोकार उपस्थित। अधिवक्ता विपक्षी उपस्थित। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा विपक्षी संख्या 3 की तरफ से जवाब पेश नहीं किया गया। पर्याप्त समय दिया जा चुका है। अत विपक्षी संख्या 3 का जवाब का अवसर बंद किया जाता है। प्रकरण में बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। हमने पाया कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसमे बताया कि राजस्व ग्राम फौजवडली पटवार हल्का चारगदिया तहसील भीण्डर की जमाबंदी सवत् 2050–53 अनुसार खाता संख्या 53, 25 आराजी सं 174 श.न 175, 176 श.न 180, रकबा 1–15, 0–06, 1–10 बिघा किस्म चा.प्र आ.चा बीड प्र खाडी द्वि खातेदार भीण्डर बिल्ड होम जरिये पार्टनर सुन्दरलाल पिता भंवरलाल जैन, नीरज कुमार पिता सुन्दरलाल जैन, महावीर कुमार वया पिता भवरलाल जैन निवासी भीण्डर के नाम दर्ज रेकर्ड है। यह कि आराजी सं 174 श.न 175, 176 श.न 180, रकबा 1–15, 0–06, 1–10 बिघा में बिना सक्षम स्वीकृति के गैर कृषि कार्य ग्रेवल सडक में उपयोग किया जा रहा है। यह कि खसरा संख्या पर बिना किसी सक्षम स्वीकृति के गैर कृषि गतिविधि संचालित किये जाने से उक्त आराजीयात से विपक्षीगण को बेदखल कर उक्त भूमि को कब्जे राज किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा अपने जवाब में बताया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि में बिना सक्षम स्वीकृति के गैर कृषि कार्य ग्रेवल सड़क में उपयोग नहीं किया जा रहा है। उक्त भूमि कृषि भूमि होकर आज भी उक्त भूमि में कृषि कार्य हो रहा है एवं मौके पर विपक्षी संख्या 1 व 2 काश्त शुदा फसल खडी है। उक्त भूमि में महावीर कुमार ने अपना हक हिस्सा फेमेली सेटलमेंट से विपक्षी संख्या 1 व 2 को सिपूर्द कर दिया है और उसका इस भूमि के किसी भी अंश पर कोई हक हिस्सा कब्जा काश्त उपयोग उपभोग नहीं है। मौके पर उक्त भूमि के दो हिस्से कर रखे है और विपक्षी संख्या 1 व 2 दोनो इस भूमि पर हिस्सा बराबर से काबिज हो कृषि कार्य कर रहे है एवं मौके पर ज्वार एवं मक्का की फसल खडी है। यह कि किसी भी खातेदार द्वारा कृषि जोत की भूमि पर कृषि कार्य करने का पूर्ण अधिकार है और उसके कृषि जोत से वंचित नहीं किया जा सकता है। मौके पर आने जाने का रास्ता कच्चा हो सड़क के रूप में उपयोग नहीं लिया जा रहा है और जो रास्ता मौके पर हिस्से कब्जे में जाने के लिए है वो निजी रास्ता होकर एक खातेदार को अपने हक हिस्से एवं कब्जे की भूमि में आने जाने के लिए कच्चा रास्ता बना रखा है। इस कच्चे रास्ते को गैर कृषि कार्य ग्रेवल सड़क के रूप में नहीं दिया जा सकता है। वैसे भी यह रास्ता विपक्षी संख्या 1 व 2 के आने जाने के लिए ही है अन्य किसी के लिए नहीं है उक्त आराजी के मौके पर ग्रेवल सड़क नहीं है। नकल खसरा गिरधावरी इसको प्रमाणित करता है कि इस भूमि में कृषि कार्य हो रहा है। साथ ही विशेष कथन पेश कर बताया कि राजस्थन टिनेन्सी एक्त की धारा 177 केवल उन्ही परिस्थितियों में लागू होती है जब खातेदार द्वारा कृषि भूमि का गेर कृषि उपयोग किया हो जैसे कि आवासिय निर्माण, व्यवसायिक उपयोग, आद्योगिक उपयोग अन्य कोई गेर कृषि गतिविधि इस मामले में उक्त चारों ही

सहायक कलक्टर
भीण्डर

बिन्दु इस मामले पर लागू नहीं होते है। क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने न तो इस भूमि का आवासिय उपयोग किया है न ही इस भूमि का व्यवसायिक उपयोग किया है और न ही औद्योगिक उपयोग किया गया है और न ही अन्य गैर कृषि हेतु उपयोग किया गया है ऐसे में धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान इस मामले में लागू नहीं होते है। यह कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 खातेदार द्वारा कृषि आवागमन के लिए कच्चा रास्ता बनाया गया है और उसका कोई व्यवसायिक या निर्माण कार्य जैसे स्थायी स्वरूप में नहीं है तो उसे गैर कृषि उपयोग में माना ही नहीं जा सकता है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की भूमि पर बना रास्ता खेती उपयोग होने वाली भूमि तक पहूंचने के लिए है और इसका उपयोग कृषि कार्य में सहायक गतिविधियां जैसे ट्रेक्टर बैलगाडी, मजदुरों के आने जाने के लिए है जिसे धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत नहीं माना जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में पाया कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में प्रार्थनाग्रस्त भूमि में बिना सक्षम स्वीकृति के गैर कृषि कार्य ग्रेवल सड़क में उपयोग में किया जाना बताया है। विपक्षी द्वारा प्रार्थी के कथनों का खण्डन किया है तथा प्रार्थनाग्रस्त भूमि का मौके पर ग्रेवल सड़क नहीं होना बताया है साथ ही किसी प्रकार की गैर कृषि गतिविधि से संचालित होना नहीं बताया है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज से पाया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि कृषि भूमि के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह माना जाये कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि पर गैर कृषि कार्य संचालित हो रहा हो। विपक्षी द्वारा अपने जवाब के साथ खसरा गिरदावरी की नकल, फोटोग्राफ भी प्रस्तुत किए जिससे भी यह कही प्रतित नहीं होता कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि का गैर कृषि कार्य में उपयोग हो रहा हो। अतः प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सावित करने में असफल रहे अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश चन्द्र बहेडिया RAS)
सहायक कलक्टर
भीण्डर

सहायक कलक्टर
भीण्डर

न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर • जिला-उदयपुर (राज.)